1/8/19 दि० 5/8/19 को कोर्ट स्थगित होने के पश्चात आज पेश हुई वकील प्रार्थी बहस नहीं करेंगे। अग्रिम पत्रावली दि० 26/8/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

26/08/19 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण अनुपस्थित। वकील वादीगण के बहस सुनी गयी पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड/दस्तावेजात का अवलोकन व अध्ययन किया गया। वादग्रस्त भूमि बाबी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी है पत्नी है। अधिवादित भूमि के प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक हिस्से पर हक हिस्सा निहित होता है। भूमि संयुक्त खातेदारी है होने के सहखातेदार/रेकर्डेड खातेदार की निर्विरोधता के बोर्ड पर कब्जा के संबंध कोई न्यायालय डिक्री नहीं सफलती है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। कार्यवाही के बाद अग्रिम हल बाद [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2021.01.28 10:52:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी